Government of **Western Australia**
Mental Health Commission

जो भी निर्णय मनोचिकित्सक लेगा उसके बारे में आपके देखभाल कर्ता, परिवार के करीबी सदस्य या अन्य निजी सहायक व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

उपचार

रेफ़रल प्रक्रिया के दौरान आप को दवा के रूप में इलाज की पेशकश की जा सकती है और आप की मर्जी है कि आप उसे स्वीकार करें या अस्वीकार। लेकिन यदि आप इसे मना करते हैं और कर्मचारी इसे आपके जीवन को बचाने के लिए या आपको अपने आप को या दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आवश्यक मानते हैं, तो उपचार आपकी सहमति के बिना दिया जा सकता है। इसे मानसिक रोग का आपातकालीन इलाज कहा जाता है।

भेजे जाते समय आपके अधिकार

- आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अपने सवालों के जवाब दिए जाने और आप को दिए जाने वाले किसी भी उपचार की पेशकश के बारे में पूरी तरह से सूचित किए जाने का अधिकार है।
- यदि आपको रोक कर रखा जा रहा है तो आपको लोगों से संपर्क करने में सक्षम होने का अधिकार है जिसमें आपके देखभाल कर्ता और परिवार के सदस्य शामिल हैं।
- आपको गुप्तता और गोपनीयता का अधिकार है।
- आपको मानसिक स्वास्थ्य पक्ष-समर्थन सेवा (मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस) से सहायता माँगने का अधिकार है। यह सेवा निःशुल्क और स्वतंत्र है (फ़ो: 1800 999 057)।
- यदि आप किसी चीज़ के बारे में अप्रसन्न हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा से शिकायत करने का अधिकार है। आप स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय (हैल्थ एंड डिसेबिलिटी सर्विसिस् कम्प्लेंट्स आफ़िस) (एचएडीएससीओ) (फ़ो: 1800 813 583) को भी शिकायत कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

इस विवरणिका में दी गई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है। अधिनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखित पुस्तिकाओं के सेट में संक्षेप से दी गई है:

- जाँच के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाना
- भर्ती रोगी (इनपेशेंट) उपचार आदेश
- सामुदायिक उपचार आदेश
- स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी
- मानसिक बीमारी का इलाज कराना
- निजी सहायक व्यक्तियों के लिए जानकारी
- नामित व्यक्ति: नामांकन कैसे किया जाए और इसका क्या मतलब है।

अन्य विवरणिकाएं:

- द मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल
- द मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस
- द मेन्टल हैल्थ लॉ सर्विस से उपलब्ध हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 और अन्य संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आयोग (मेन्टल हैल्थ कमीशन) की वेबसाइट www.mhc.wa.gov.au पर जाएँ या (08) 6272 1200 पर फ़ोन करें।

This document can be made available in other languages and alternative formats on request.

Published by the Mental Health Commission (2015)

मनोचिकित्सक के पास जाँच के लिए भेजा जाना

प्रपत्र (फ़ार्म) 1A रेफ़रल मनोचिकित्सक द्वारा आपकी जाँच की जाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 के अंतर्गत एक आदेश है।

यह विवरणिका आपको जानकारी प्रदान करती है कि यदि आपको फ़ार्म 1A रेफ़रल मिला है तो आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या आशा कर सकते हैं।

फ़ार्म 1ए रेफ़रल जीपी द्वारा एक वशिषज्ञ के साथ परामर्श के लिए दिए गए साधारण रेफ़रल से अलग है। फ़ार्म 1 ए रेफ़रल मनोचकित्सिक द्वारा आपकी जाँच की जाने के लिए मानसकि स्वास्थ्य अधनियिम 2014 (मेन्टल हैल्थ एक्ट 2014) के अंतर्गत एक आदेश है।

यदि आपको फ़ार्म 1 ए रेफ़रल मिला है तो यह इसलिए क्योंकि एक चकित्सिक या एक अत्यंत योग्य मानसकि स्वास्थ्य व्यवसायी जसि 'अधकिृत मानसकि स्वास्थ्य व्यवसायी' कहा जाता है, ने आप का आकलन किया है और यह विचार किया है कि आपको मानसकि रोग के अनैच्छकि उपचार की आवश्यकता हो सकती है। केवल एक मनोचकित्सिक ही यह निर्णय कर सकते हैं कि आपको मानसकि रोग के अनैच्छकि उपचार की आवश्यकता है इसलिए डॉक्टर / व्यवसायी ने मनोचकित्सिक के पास आपको जाँच हेतु भेजने के लिए फ़ार्म 1 ए भरा है।

रेफ़रल का मतलब क्या है?

फ़ार्म 1ए रेफ़रल 3 दिनों के लिए वैध है। इसे गैर-महानगरीय क्षेत्रों में 6 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।

फ़ार्म 1 ए रेफ़रल मिलने का मतलब है कि आपको रेफ़रल में नामित जगह पर एक मनोचकित्सिक द्वारा जाँच कराने के लिए जाना है। यदि ज़रूरत हो तो डॉक्टर / व्यवसायी आपका जाँच स्थल पर जाना सुनिश्चिति करने के लिए आपको रोके रख सकते हैं। यदि कोई सुरक्षति विकल्प न हो तो आपको जाँच स्थल पर ले जाने के लिए वे परविहन अधिकारी या एक पुलसि अधिकारी की व्यवस्था कर सकते हैं ।

जब एक बार आप जाँच स्थल पर पहुंचते हैं तो तब तक नहीं जा सकते जब तक मनोचकित्सिक आप को देख नहीं लेते, (जब तक कि आप 24 घंटे से अधिक प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में आप जा सकते हैं)।

मनोचकित्सिक द्वारा जाँच

मनोचकित्सिक आप से बात करके और प्रश्न पूछ कर आपकी जांच करेंगे। यदि आवश्यक हो तो दुभाषिए का प्रयोग किया जाएगा। कुछ देशीय क्षेत्रों में, यह जाँच वीडियो लिंक पर की जा सकती है।

यदि आप एक आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर व्यक्ति हैं तो यह जाँच एक आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर मानसकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और / या आपके समुदाय के महत्त्वपूर्ण सदस्यों की सहायता से की जा सकती है।

यह निर्णय करने के लिए कि आपको अनैच्छकि उपचार की ज़रूरत है या नहीं, जाँच के समय मनोचकित्सिक निम्निलखिति कसौटियों पर विचार करेंगे:

- क्या आपको एक मानसकि बीमारी है जसिके लिए उपचार की आवश्यकता है?
- यदि आपको उपचार नहीं मिलता तो क्या आप को या किसी और व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण ख़तरा है?
- क्या आप इतने स्वस्थ हैं कि उपचार के बारे में निर्णय ले सकें?
- क्या अनैच्छकि उपचार के अलावा आपको उपचार उपलब्ध कराने का कोई कम प्रतबिंधक रास्ता है?

मनोचकित्सिक द्वारा किए गए निर्णय

आप से बात करने और मूल्यांकन की कसौटियों पर विचार करने के बाद, मनोचकित्सिक निम्निलखिति निर्णयों में से एक ले सकते हैं:

- आपको अनैच्छकि रोगी बनने की आवश्यकता नहीं है और आपको जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। (लेकिन आप एक स्वैच्छकि रोगी के रूप में इलाज पाने के लिए सहमत हो सकते हैं)।
- आपका अनैच्छकि रोगी बनना आवश्यक है और आपको अस्पताल में उपचार प्राप्त करने की आवश्यकता है। मनोचकित्सिक भर्ती रोगी (इनपेशेंट) उपचार आदेश (फ़ार्म 6ए या 6बी) देगा और आपको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
- आपका अनैच्छकि रोगी बनना आवश्यक है, लेकिन आपको अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है और समुदाय में इलाज किया जा सकता है। मनोचकित्सिक सामुदायकि उपचार का आदेश (फ़ार्म 5 ए) देगा और आपको अपनी पहली अपॉइन्ट्मेन्ट (नियोजति भेंट) के समय और स्थान के बारे में सूचति किया जाएगा।

यदि आपकी जाँच ऐसे अस्पताल में हो रही है जहाँ अनैच्छकि रोगियों को भर्ती किया जाता है (एक क्लिनकि या ई डी के विपरीत), तो मनोचकित्सिक आपके अस्पताल में आने के समय से 72 घंटे तक कोई भी उपरोक्त निर्णय लेना स्थगति कर सकते हैं ताकि अतिरिक्ति जाँच की जा सके।